प्रकरण संख्या 43/2018 कालू बनाम समला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2018	वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण में समायत शुदा बहस, पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण शहादत वादी में विचाराधीन था। इसी दौरान दिनांक 02.11.2012 वकील वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14 जा.दी. का आवेदन पेश किया, जिसके जवाब बहस के लिए पत्रावली विचाराधीन थी। इसी दौरान दिनांक 13.05.2.13 को वादी द्वारा आदेश 26 नियम 9 जा.दी का भी आवेदन पेश किया गया तथा उपरोक्त दोनों आवेदनों पर जवाब बहस के लिए पत्रावली लम्बित थी, जिसकी बहस के लिए पत्रावली दिनांक 30.09.2013 के लिए मुकर्रर हुई। दिनांक 12.02.2016 को पत्रावली में आगामी तिथि दिनांक 14.03.2016 तय की गयी, परन्तु दिनांक 14.02.2016 को पत्रावली पेश ही नहीं हुई तथा दिनांक 21.06.2016 को पत्रावली पेश होकर लोक अदालत में रखे जाने हेतु पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाने के निर्देशों का अंकन हुआ, परन्तु पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं हुए। दिनांक 24.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत में रखी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना कोई राजीनामा हुए प्रकरण में सरसरी तौर पर बिना तनकियात आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में बिना साक्ष्य लिये तथा मुतफरिक आवेदनों का बिना निस्तारण किये लोक अदालत की भावना से पृथक जाकर निर्णय पारित किया है एवं लोक अदालत में उक्त निर्णय किये जाने का कोई आधार नहीं होने के बावजूद विवाद के तथ्यों का विधिक निस्तारण के स्थान पर प्रकरण में अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि तथा तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–06–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पेश शुदा	

प्रकरण संख्या 43/2018 कालू बनाम समला व अन्य

	मुतफरिक आवेदनों का निस्तारण कर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.09.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 43/2018 कालू बनाम समला व अन्य